

फा0सं0 14/48/2010-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली - 110003
दिनांक 20 दिसम्बर, 2010

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल-462004 ।
2. प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय, डी के भवन, छत्तीसगढ़,
रायपुर ।

विषय:- श्री ए. आर. गजभिये, उपयंत्री (छत्तीसगढ़) के राज्य पुर्नआवंटन के बावत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 6059/4366/2010/1/चौतीस दिनांक 30.11.2010 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा आपके विभाग ने प्रमाणित किया गया था कि श्री ए. आर. गजभिये की पत्नी श्रीमती सुमित्रा गजभिये, 12.06.87 से मध्य प्रदेश शासन में शासकीय सेवा में है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दम्पति नीति के अन्तर्गत श्री गजभिये, उपयंत्री का राज्य पुर्नआवंटन छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश स्वीकार कर लिया है । अतः श्री गजभिये, उपयंत्री का राज्य पुर्नआवंटन छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश किया जाता है । राज्य सरकारों से अनुरोध है कि श्री गजभिये के राज्य पुर्नआवंटन के लिए आवश्यक कार्यवाई करें और इस विभाग को अवगत कराये ।

2. इस आदेश को भारत सरकार के वेबसाइट (www.persmin.nic.in) → SR Divn. → Recent Order → M.P.) से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

भवदीय,

महेन्द्र सिंह

(महेन्द्र सिंह शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 24651898

o/c

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल - 462004 ।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
3. श्री ए. आर. गजभिये, उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखण्ड छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Dept. of Personnel & Training
ग्राहक और भिजियु ऑर
Receipt & Issued Dept.

20/12/10

जारी किया/ISSUED

रु०